निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 52/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि॰, रजिस्टर्ड आफिस 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. हनुमान सहाय गुर्जर पुत्र श्री हरिनारायण गुर्जर
   निवासी गुर्जर मोहल्ला पोस्ट थली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर एवं
   प्लाट वार्ड नं॰ 4, नीमला रोड, ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री हरिनारायण गुर्जर
3. जगदीश गुर्जर पुत्र श्री गंगासहाय गुर्जर
   निवासी 29 जयन्ती लाल, पोस्ट थली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. श्रीमती कानी देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय गुर्जर
   निवासी 166 गुर्जर मोहल्ला, पोस्ट थली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. हरिनायण गुर्जर पुत्र श्री गंगा सहाय गुर्जर
   निवासी 29 पोस्ट थली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:–श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 2-9.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.11.2011 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री हनुमान सहाय गुर्जर के स्वामित्व की सम्पत्ति वार्ड नम्बर 4 में स्थित प्लाट, नीमला रोड, ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 349.33 वर्गगज को बन्धक रख कर 7,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.08.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.08.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति की पुष्टि में प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री हनुमान सहाय गुर्जर के स्वामित्व की सम्पत्ति वार्ड नम्बर 4 में स्थित प्लाट, नीमला रोड, ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 349.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 2-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर